

Title: Need to introduce a bill in the Lok Sabha to declare statehood to all the Union Territories.

श्री मोहनमाई एस. देलकर (दादरा और नगर हवेली): उपाध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दियू, सब केन्द्र प्रशासित प्रदेश हैं जिन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिये जाने के लिये सरकार को एक बिल लोकसभा में लाना चाहिये। देश में लोकतंत्र का सिस्टम है और लोगों के चुने हुये प्रतिनिधि भारत सरकार में चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं लेकिन जहां तक यूनियन टैरिटरीज़ का प्रश्न है, वहां चुने हुये लोगों को यह अधिकार नहीं है। ये हिस्से भारत देश से एक अलग हिस्से की तरह रह रहे हैं। वहां के लोगों की भी यह भावना है कि वे सब अपने आपको इस सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाये जाने के लिये ऐतिहासिक बिल लाई है, मैं मांग करता हूँ कि लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुये केन्द्र प्रशासित राज्यों - लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दियू के लिये भी उसी प्रकार का बिल लेकर आये। लोग चाहते हैं कि वे भी उसी सिस्टम से जुड़ें। जिस प्रकार से उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा आन्दोलन हुआ, क्या आप हम लोगों को मजबूर करेंगे कि वे भी उसी आन्दोलन के मार्ग पर जायें।

(a2/1300/bks-rbn)

उन लोगों के आंदोलन के मार्ग पर आने से पहले भारत सरकार को इस बात को समझना चाहिए तथा इस बारे में तुरंत बिल लाकर जो हमारे देश में लोकशाही का सिस्टम है, उस सिस्टम को सारी यूनियन टैरिटरीज़ में लागू करना चाहिए। इसलिए इस बारे में एक बिल सरकार को तुरंत लोकसभा में लाना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद (व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पीने के पानी (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... (Not recorded)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जाधव को बुलाया है, आप बीच में इंटरप्ट मत करिये। आप बिना परमिशन के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।